मूल

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की १६१ वीं बैठक

दिनांक १७ जून, २००५ का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की १६१ वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री चितरंजन स्वरूप की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

१	श्री जय शंकर मिश्र	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
२.	श्री नीरज कुमार गुप्ता	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
३.	श्री आर०के०ओझा	विशेष सचिव, प्रतिनिधि सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
४.	श्री मुकेश मित्तल	विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
५.	श्री डी०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।	सदस्य
६.	श्री एम० एस० ख़ान	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
७.	श्री एस०एन० राम	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
८.	श्रीयुत श्रीपाल वर्मा	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सचिव

विशेष आमंत्री

९	श्री कामरान रिज़वी	अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
१०.	श्री एच०डी०सिंह	वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
११.	श्री सुबोध शंकर	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद

बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं०	विषय	
१६१/१	परिषद की १६०वीं बैठक दिनांक २७.०४.२००५ के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की १६० वीं बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया जिसपर निम्न बिन्दुओं पर संशोधन करने के निर्देश दिये गये – १. मद सं० १६०/२१ – प्रकरण संज्ञान में लिया गया। संशोधित वेतनमान को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाये। २. मद १६०/५६ – मस्टर रोल श्रमिको को १० प्रतिशत अन्तरिम राहत दिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण शासन को संदर्भित किया जायें। ३. मद १६०/७६ – सुल्तानपुर रोड भूमि विकास योजना में लिये गये निर्णय के साथ बिन्दु–२ निम्न प्रकार अंकित किया जायें :– "सुल्तानपुर रोड की प्रस्तावित योजना में मुख्य नगर एंव ग्राम्य नियोजक उ०प्र० की फायरिंग रेंज सम्बन्धित संस्तुतियाँ शामिल की जायें।" उपर्युक्त संशोधन के साथ गत १६० वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
१६१/२	परिषद की १६०वीं बैठक दिनांक २७.०४.२००५ की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।

अभियन्त्रण अनुभाग

१६१/३	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ।	परिषद के विकास/निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों को विभिन्न सक्षम स्तर से दी गई स्वीकृतियों की प्रथम, द्वितीय,

		तृतीय एवं चतुर्थ सूचियों को अवलोकित किया गया

<u>वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग</u>

१६१/४	परिषद की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–२००० में प्रस्तावित पुनर्विकास/ पुनर्निर्माण के मानकों में संशोधन व समायोजन।	परिषद की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–२००० में संशोधन सम्बन्धी शासनादेशो को यथावत अंगीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से प्राप्त होने वाले ऐसे प्रस्ताव जिन्हे यथावत अंगीकृत किया जाना है, उसके लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
१६१/५	प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों हेतु हाऊसिंग डिमाण्ड सर्वे कराया जाना।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि सर्वेक्षण के आधार पर आवासीय मांग को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर योजनाऐं तैयार की जाये।

<u>प्रशासन अनुभाग</u>

१६१/६	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद सम्पत्ति प्रबन्धक सेवा विनियम में संशोधन	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। शासन को संदर्भित किया जाये।
१६१/७	परिषद में आशुलिपिक ग्रेड–२ से निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। शासन को संदर्भित किया जाये।
१६१/८	लिपिकीय–लेखा संवर्ग में एक ही पद पर १६ वर्ष से कार्यरत कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया, और निर्णय लिया गया कि शासन से स्वीकृत प्राप्त की जायें।
१६१/६	परिषद में दैनिक वेतन/मस्टर रोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण एवं शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने के संबंध में।	प्रकरण में शैक्षिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करने हेतु सक्षम स्तर की जानकारी कर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय।
१६१/१०	अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

१६१/११	श्रीमती स्नेहलता यादव को हंसपुरम योजना संख्या–२ कानपुर में आवंटित आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–१६० के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज माफ किए जाने के संबंध में।	दण्ड ब्याज माफ करने तथा अवशेष धनराशि की १५ वर्ष में आदायगी की किस्ते करने का निर्णय लिया गया।
१६१/१२	परिषद की डायमण्ड डेरी योजना, लखनऊ में श्रीमती सुखदा मिश्रा को आबंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–३७ के विरुद्ध आरोपित ब्याज माफी के संबंध में।	मा० उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश एवं विधिक राय के दृष्टिगत मा० उच्च न्यायालय के आदेश का समादर करने का निर्णय लिया गया।
१६१/१३	शिवा शिक्षा समिति द्वारा संचालित कैम्ब्रिज कालेज सेक्टर–७, आवास एवं विकास परिषद कालोनी सिकन्दरा, आगरा को क्रीड़ांगन हेतु उसके पास लगे भूखण्ड को विद्यालय रेट पर आवंटन किए जाने के संबंध में।	कैम्ब्रिज कालेज को स्कूल से लगी व्यावसायिक व सामुदायिक केन्द्र की भूमि विद्यालय की दर पर दिये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। यह निर्देश दिये गये कि यदि कोई अन्य स्कूल भूखण्ड रिक्त हो तो दिये जाने पर विचार कर लिया जाय।
१६१/१४	श्री अशोक दुबे पूर्व सदस्य विधान परिषद को वृन्दावन योजना, लखनऊ में आबन्टित भूखण्ड संख्या–६सी/४३ के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	रू० १०,०००=०० की सीमा तक दण्ड ब्याज माफ किया जायें और ओ०टी०एस० की सुविधा के विकल्प से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी।
१६१/१५	बुद्धि बिहार योजना मुरादाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या १बी/४१३ के विरुद्ध देय ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
१६१/१६	झूँसी योजना संख्या–२, इलाहाबाद में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ७२८/१ के विलम्ब शुल्क के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
१६१/१७	विकास नगर योजना, लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ४/५६१ के विरुद्ध देय समस्त ब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। ओ०टी०एस० की सुविधा प्राप्त करने हेतु विकल्प सूचित किया जाये।
१६१/१८	विकास नगर योजना में श्रीमती शीला सिंह को आबंटित एस०एफ०एस०भवन संख्या १३/१/ १६ के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज को माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव का परीक्षण कर औचित्य सहित पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

१६१/१६	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर–६ में दयानन्द शिशु शिक्षा मन्दिर स्कूल समिति को आबंटित भूमि दर के संबंध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
१६१/२०	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–६/५०१ एवं सी–६/५०२ के विरुद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
१६१/२१	सिविल लाइन्स योजना मुरादाबाद में स्थित म०आ०वर्ग भवन संख्या–५३ के विरुद्ध ब्याज/ दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।	दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
१६१/२२	यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को योजना संख्या–१, इटावा में आबंटित भूखण्ड संख्या ए–२४६ के विकय के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६१/२३	भारत के संसद भवन दिल्ली पर आतंकवादियों के हमले में शहीद सिपाही/महिला स्व० कमलेश कुमारी के आश्रित श्री अवधेश कुमार को जनपद फर्रूखाबाद में निःशुल्क प्लाट दिए जाने के संबंध में।	संसद भवन पर आतंकवादियों के हमले में श्रीमती कमलेश कुमारी की राष्ट्रीय स्तर की शहादत, असाधारण वीरता के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरान्त "अशोक चक्र" प्रदान किये जाने तथा देश के प्रति किये गये अप्रतिम बलिदान को दृष्टिगत रखते हुए उनके आश्रित को वर्तमान आवासीय दर की ५० प्रतिशत पर २२० व०मी० का भूखण्ड आवंटित किये जाने का अपवाद–स्वरूप निर्णय लिया गया। भविष्य में इसे दृष्टान्त नही माना जायेगा।
१६१/२४	डमरौली योजना मिर्जापुर में श्रीमती प्रेमा देवी पाल पत्नी स्व० भागवत पाल के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ४६७ से लगी अतिरिक्त भूमि की धनराशि के संबंध में।	दण्ड ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया।
१६१/२५	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में पंजीकृत विस्थापित आवेदकों को दुकानों के आबंटन के संबंध में।	परिषद की वसुन्धरा योजना में अवशेष ४४४ पंजीकृत विस्थापितो के मध्य उपलब्ध २६५ व्यावसायिक सम्पत्तियों (चबूतरे/दुकाने) का निस्तारण लाटरी द्वारा आवंटन के माध्यम से करने का

		निर्णय लिया गया, तथा शेष के लिए आवास आयुक्त को स्थिति का आंकलन कर कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया। २. प्रश्नगत सम्पत्ति के मूल्यांकन में कोई छूट अनुमन्य नही होगी। ३. ६३ नग प्रस्तावित दुकानो हेतु पंजीकरण किया गया था जिनका निर्माण सम्भव नही हो सका है। अतः पंजीकरण की धनराशि ब्याज सहित वापस किये जाने का निर्णय लिया गया।
१६१/२६	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में श्री राजा राम पाण्डेय मा० मंत्री को आवंटित भूखण्ड संख्या–१४१/६५६, श्री राम आसरे पासवान को आवंटित भूखण्ड संख्या–१४१/६५७ एवं श्री राम पाल राजवंशी को आबंटित भूखण्ड संख्या–१४१/६५८ के विरुद्ध देय दण्ड बयाज, पुनर्जीवन शुल्क तथा विलम्ब शुल्क की माफी के संबंध में।	प्रकरण पर विचार कर ब्याज, दण्ड ब्याज एवं विलम्ब शुल्क माफ करने सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। यह निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित को ओ०टी०एस० का विकल्प संसूचित कर दिया जाये।

<u>भूमि अर्जन अनुभाग</u>

१६१/२७	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ (बस्तौली गाजीपुर) में समाविष्ट ग्राम गाजीपुर सइदुलनिशा खसरा संख्या ५६३ व ५६४ में समाविष्ट ६४०० वर्ग फुट भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/२८	मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–४ भाग–२ मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या ६७०, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७/२, ६७८/३, ६७२/१, ६५६/१ व ६६०/२ की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/२६	वृन्दावन योजना संख्या–२, लखनऊ में खसरा संख्या १०३ की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३०	कमला नगर (घटवासन) योजना आगरा में अर्जित खसरा संख्या ६४५ रकबा ०–८–१४ बीघा भूमि को वर्तमान व्यावसायिक दर पर आबंटित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।

१६१/३१	कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर १२ में समाविष्ट खसरा संख्या ७५६ व ७६१ की ६०० वर्गमीटर भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३२	कुर्सी रोड विस्तार (विकास नगर) योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बटहा सबौली परगना व तहसील लखनऊ स्थित खसरा संख्या २७० की क्षेत्रफल १६२० वर्गफुट भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३३	उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–१ में श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के खसरा संख्या ३०५/२ ग्राम परेड छावनी क्षेत्रफल २.२३ एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त/पृथक करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३४	परिषद की योजना संख्या–१ कानपुर के ग्राम विनायकपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या–७० रकबा १–०–० बीघा श्री मती मंजुलता सिंहल की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३५	परिषद की कमला नगर योजना, आगरा के सेक्टर–६ स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी०एच०–६/१ के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३६	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा सं० २५५८/२ डा० वीरसेन सरोहा, पूर्व सदस्य विधान परिषद की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३७	गाजियाबाद योजना संख्या–३ में समाविष्ट सर्व श्री दयानन्द आदि की भूमि का वास्तविक विकास व्यय के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा–५० के अन्तर्गत बेटरमेन्ट चार्जेज लेने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/३८	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या संख्या–१ लखनऊ में समाविष्ट ग्राम उतरेठिया के खसरा संख्या–३८० रकबा	प्रस्ताव स्थगित।

	१–१–० बीघा भूमि के बदले वृन्दावन योजना संख्या–२ लखनऊ में खसरा संख्या ४०५, ४०६ एंव ४०७ की १–१–० बीघा भूमि श्रीमती शीलू प्रकाश, अध्यक्ष ए०एस०पब्लिक स्कूल को बेटरमेन्ट चार्ज (Betterment charges) लेकर दिए जाने के संबंध में।	
१६१/३६	वसुन्धरा योजना संख्या–३, गाजियाबाद के खसरा संख्या–३६८/१ क्षेत्रफल २–१–६ बीघा भूमि को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।

<u>प्रशासन अनुभाग</u>

१६१/४०	परिषद के इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार एवं भविष्य में परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/४१	कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान परियोजना मद से न करके अधिष्ठान मद से किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।

<u>सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग</u>

१६१/४२	विकास नगर योजना, गोरखपुर में अवशेष लगभग ६०० से अधिक सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/४३	हंसपुरम योजना संख्या–२ कानपुर में निर्मित भवनों को मूल मूल्यांकन पर आबंटित किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
१६१/४४	जिगर बिहार योजना मुरादाबाद में स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या ए–३२१ के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ करने एवं रजिस्ट्री सम्पादन के संबंध में।	प्रस्ताव पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

१६१/४५	लोहियापुरम योजना फतेहगढ़ के भूखण्ड संख्या २वी/१०७ में छूट दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/४६	परिषद की भरतपुरी योजना गोण्डा के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या ३४ के आर०सी० एवं ब्याज माफी के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/४७	परिषद की सत्यवान पुरी कटरा योजना, बस्ती में स्व० राजमणि प्रसाद के पक्ष में आवंटित ई०डब्लू०एस० भवन संख्या–६२६ के विरुद्ध देय ब्याज की माफी के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/४८	परिषद की काशीपुर योजना संख्या–२ में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या सी–१७ के साथ लगी अतिरिक्त भूमि पर लगाए गए ब्याज को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।

प्रशासन अनुभाग

१६१/४६	परिषद कर्मचारियों/अधिकारियों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर संस्तुति/ अनुमति प्रदान करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६१/५०	मुख्यालय पर अभियन्त्रण अनुभाग में अधीक्षण अभियन्ता का एक पद सृजित करने तथा उसे वरिष्ठ स्टाफ आफीसर, मुख्य अभियन्ता पद नाम दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थगित किया गया।
१६१/५१	श्री योगेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री कृष्ण गोपाल वर्मा को पुनः मस्टर रोल पर कार्य पर लगाए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।

भूमि अर्जन अनुभाग

१६१/५२	मझोला भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–४ भाग–२ (विस्तार) मुरादाबाद की नियोजन समिति की संस्तुति एवं धारा–३१(१) की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
१६१/५३	योजना संख्या–१ बुलन्दशहर में समाविष्ट	परिषद के वरिष्ठ अधिकारियो की टीम

	श्री सुन्दर सिंह आदि की भूमि के संबंध में।	भेजकर स्थल–निरीक्षण कराकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
१६१/५४	परिषद की योजना संख्या–६, अलीगढ़ में स्थित खसरा संख्या–३७५७ क्षेत्रफल १–६–० बीघा भूमि का असुधार शुल्क लेकर अर्जन मुक्त किए जाने के संबंध में।	परिषद द्वारा टीम भेजकर स्थल निरीक्षण कराकर प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

१६१/५५	सिकन्दरा योजना आगरा में स्व वित्त पोषित योजना–२००२, द्वितीय/तृतीय चरण के भवनों के मूल्य में हुई विसंगतियों के संबंध में।	प्रस्ताव निम्न के साथ अनुमोदित किया गया। १. दिनांक २७.२.२००३ को सिकन्दरा योजना में एस०एफ०एस० भवनों की लाटरी में २६० सफल आवंटियो में से २३६ के मामले में मार्च २००३ की भूमि दर के अनुसार ही शेष ५४ से भी मार्च २००३ की प्रचलित भूमि दर ही ली जाय। २. जिस कर्मचारी द्वारा ५४ मामलो में विलम्ब से मांग पत्र जारी किया गया उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। ३. भविष्य में परिषद की सभी एस.एफ.एस. योजनाओं में भी लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि को प्रचलित भूमि दर ही ली जाये। तद्नुसार नियमो में संशोधन किया जाये।
१६१/५६	सिकन्दरा योजना, आगरा में मा० विधायक श्री छोटे लाल वर्मा को आबंटित भूखण्ड संख्या ६६४/१६ए के स्थान पर सेक्टर–४ में मिक्स यूज भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।	प्रस्ताव निम्न प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया गया। १ मिक्स यूज (मिश्रित भू–उपयोग) भूखण्ड हेतु आरक्षित भूमि की दर वर्तमान आवासीय दर की डेढ़ गुना ही ली जायेगी। २. आवासीय उपयोग ही अनुमन्य होगा।
१६१/५७	धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना हेतु योजनाओं में आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु नियम/शर्तें।	प्रस्ताव स्थगित।
१६१/५८	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ स्थित भवन संख्या ११/११३६ के विरुद्ध देय विलम्ब शुल्क एवं दण्ड ब्याज	प्रस्ताव स्थगित।

	माफ किए जाने के संबंध में।	
१९१/५९	प्रह्लाद पुरी योजना, हरदोई स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या बी–११ के विरुद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१९१/९०	परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में श्री तेज प्रताप सिंह को आबंटित भवन संख्या—८९२ का मूल्य वर्ष १९९१ के दर पर दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१९१/९१	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या २४/जी०एच० १०४ के विरुद्ध हदबरारी विवाद निस्तारित होने तक किस्तों को स्थगित रखने एवं इस पर ब्याज न लिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित।
१९१/९२	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गई।

अध्यक्ष महोदय

कृपया कार्यवृत्त अनुमोदनार्थ।

(श्रीपाल वर्मा)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(नीरज कुमार गुप्ता)
आवास आयुक्त

(चितरंजन स्वरूप)
अध्यक्ष
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

पुष्टि की गयी

(अध्यक्ष)